

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कैलाशनाथ वनाम मैसर्स सेवा मिनरल्स

दावा वावत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 18/2024
पेश करने की दिनांक - 06.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूवरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक मदनपुरी गोस्वामी मुद्दई सीताराम रावत राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 1398, 1396 मिन, 1411, 1412 मि., 1394 मिन, 1414 मिन रकबा क्रमशः 0.50, 0.29, 0.31, 0.07, 0.26, 0.08 का खातेदार वादीगण कैलाशनाथ/मांगीनाथ 1/4 हि., मदननाथ/मांगीनाथ 1/4 हि., बाबूनाथ/केसरनाथ 1/2 हि. को, हाल खसरा नम्बर 1394 मिन, 1414 मिन, 1412 मिन, 1396 मिन, 1395, 1397, 1399, 1400, 1401, 1413, 1415, 1420/4188, 1420/4290 रकबा क्रमशः 0.43, 0.24, 0.14, 0.17, 0.49, 0.43, 0.21, 0.15, 0.14, 0.05, 0.38, 0.10, 0.09 का खातेदार मैसर्स सेवा मिनरल्स कपिल कुमार/अनिल कुमार 3/16, मैसर्स शिवा मिनरल्स नितिन पुत्र गजेन्द्र 3/16 हि., राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मूलचन्द 1/6 हि., मोहननाथ पुत्र धन्नानाथ 1/4 हि., तेजूनाथ पुत्र भूरानाथ 1/6 हि., गीता पुत्री भूरानाथ 1/24 हि. को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1402 व 1403 पूर्व अनुसार शामलाती रहेगे। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक वसूली तक को अदा करे। को सालाना आज की तारीख से यानि

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान वावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
नसीराबाद (अजमेर)

